FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत –उपखण्ड अधिकरी एवं पदेन सहायक कलक्टर — बमुकाम : नावां जिला नागौर राजस्थान

संगीता शाह पत्नि प्रदीप शाह जाति महाजन अग्रवाल वगै. सा. 10 गोपाल बनर्जी स्ट्रीट भवानीपुर कोलकता हाल नि. नावा तह. नावां

बनाम

मन्जुदेवी पत्नि गोपाल लाल मोदी जाति महाजन अग्रवाल वगै. सा. नावां तह. नावां

किस्म कुमदमां : 212 आरटीए — मुकदमां नम्बर 0213/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
07.10.2022	प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री आनन्दीलाल कुमावत ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाता है। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। इस संबंध में अतिरिक्त कथन के रूप में यह उल्लेखनीय हैं कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कस्बा नावां के खसरा नम्बर 2129/1800 से संबंधित हैं। उक्त खसरा नम्बर के संबंध में यह उल्लेखनीय हैं कि यह प्रथम भू–प्रबंध के समय खसरा नम्बर 996 से संबंधित हैं जिसकी किस्म गै.मु. परमठ व समंद रही हैं जो कि जलभराव से संबंधित हैं। भू–प्रबंध विभाग द्वारा किस्म गै.मु. समंद से परिवर्तित कर बारानी करने के कारण यह भूमि भूतपूर्व जागीरदारों को काश्त हेतु आवंटित की गई थी। यह खसरा विवादित 6620 बीघा का भाग हैं जिसके स्वामित्व के संबंध में राज्य सरकार व सांभर साल्ट लिमिटेड के बीच माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 17928/2018 विचाराधीन हैं। इस भूमि बाबत माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.03.2022 में विशेष निर्देश दिये गये हैं। यह खसरा नम्बर प्रथम दृष्टया सांभर वेटलेंड का भाग लगता हैं। सांभर झील क्षेत्र के संबंध में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा एक ठोस कार्य योजना तैयार की जा रही हैं जिसमें कोर, बफर व आस–पास के प्रभाव वाले क्षेत्र को परिभाषित किया जायेगा जिसे औद्योगिक उपयोग हेतु परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। इस बाबत राजस्व विभाग ग्रुप–9 द्वारा आदेश प. क्र:–2(31)राज–9/भू.रू./2022 जयपुर दिनांक 22/07/2022 जारी किया गया हैं। अतः अप्रार्थीगण के जवाब पेश करने तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि कस्बा नावां के खसरा नम्बर 2129/1800 रकबा 19.00 हैक्टर भूमि में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की क्रय शुदा 6.40 हैक्टर भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखें एवं किसी भी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण/नमक क्यार/औद्योगिक संपरिवर्तन/ आवासीय संपरिवर्तन/अन्य गैर कृषि उपयोग नहीं करें। इस आशय की अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो। इस बाबत अप्रार्थीगण को आपत्ति हो तो नियत तिथि को असालतन/वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करें।अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 03.11.2022 को पेश हो। Signature Not Verified Digitally signed by Anshul Singh Date: 2023.07.05 15:51:36 IST Reason: SelfAttested (… उपखण्ड अधिकारी, नावां	
3/11/22	पत्रावली पेश कर [illegible] कन्डंलेन्स ....कर कार्य स्थगन का निवेदन किया/ पत्रावली इत्त्का होकर दिनांक 28/12/22 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म मै जा[illegible]
14/12/22	पत्रावली प्रार्थी गोविन्द मोदी, विष्णु मोदी द्वारा प्रा०पत्र पेश करने पर आज पेश हुई। प्रार्थी गोविन्द मोदी व विष्णु मोदी की ओर से Adv. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ने प्रा०पत्र बाबत पत्रावली आज ही तलब कर सुनवाई करने व 01R10CPC प्रा०पत्र पेश किया जिसकी नकल प्रार्थी को दिलाई गई। पत्रावली वास्ते सुनवाई दि० 20/12/22 को पेश हो।	
20/12/22	पत्रावली पेश [illegible] वकील बार अध्यक्ष के द्वा[illegible] [illegible] रखा है। प[illegible] 21/12/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
21/12/22	उभयपक्ष उप०। प्रा०पत्र 01R10CPC का अधिवक्ता प्रार्थी जवाब नहीं देकर सीधे बहस की। अधूरी बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते बहस शेष 01R10CPC दि० 28/12/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
28/12/22	उभयपक्ष उप०। अधिवक्ता प्रार्थी ने दस्तावेजात पेश किये जो शामिल मिसल हो तथा प्रा०पत्र 01R10CPC की बहस हेतु समय चाहा है। समय दिया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 5/1/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
5/1/23	पत्रावली पेश बार एसोसि[illegible] कन्डोलेन्स .... [illegible] का निवेदन किया/ पत्रावली इसी हाजर दिनांक 6/2/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 15:51:36 IST
Reason: SelfAttested

ब हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
	6/2/23 उभयपक्ष उप० बहस हेतु समय चाहते है। समय दिया गया। पत्रावली दि० 15/2/23 को पेश हो।	
	15/2/23 पत्रावली पेश बार एसोसिएशन के ....कर कार्य स्थगन का निवेदन किया/ पत्रावली इसी तरह होकर दिनांक 28/2/23 को पेश हो। Sd	
	28/2/23 पत्रावली पेश हुई। वकील बार अध्यक्ष के द्वारा आज का ... का स्थगन रखा है। पत्रावली दिनांक 13/3/23 को पेश हो। Sd	
	13/3/23 पत्रावली पेश हुई। ... बार अध्यक्ष के द्वारा आज ... स्थगन रखा है। पत्रावली दि... 22/3/23 को पेश हो। Sd	
	22/3/23 पत्रावली पेश हुई। वकील बार अध्यक्ष के द्वारा आज का ... स्थगन रखा है। पत्रावली दिनांक 27/3/23 को पेश हो। Sd	
	27/3/23 पत्रावली पेश हुई प्रार्थीगण की ओर से Adv. श्री आनन्दीलाल कुमावत ने प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण उक्त पत्रावली को आगे नहीं चलाना चाहते है इसलिए उक्त पत्रावली को अदम पैरवी खारिज किया जावे। अतः प्रार्थीगण के अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थीगण का मामला अदम पैरवी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर ... दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Anshul Singh Date: 2023.07.05 15:51:36 IST Reason: SelfAttested Sd उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर)	